न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
53 / 2015	12.03.2019	10.10.2025

पीठासीन अधिकारी – दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1. प्रहलाद आत्मज प्रभुलाल
2. रघुवीर आत्मज प्रभुलाल
3. रामसिंह आत्मज प्रभुलाल
4. सुशीला आत्मज प्रभुलाल
5. भूली बेवा प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासीगण हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।

(वादीगण)

बनाम

1. कान्ही बाई पुत्री छीतरलाल
2. चाहन्या बाई पुत्री छीतरलाल
3. द्रोपदी पुत्री छीतरलाल
4. पन्सुरी पुत्री छीतरलाल
5. बनवारीलाल आत्मज रामलाल
6. मोतीलाल आत्मज रामलाल
7. जगन्नाथी पुत्री रामलाल
8. भरोसी पुत्री रामलाल
9. कलावती पुत्री रामलाल
10. हरचन्द पुत्र पन्नालाल
11. मूर्ति पुत्री छोटूलाल
12. राजबाई पुत्री छोटूलाल
13. परसादी बाई पुत्री छोटूलाल
14. घीसी बेवा छोटूलाल
15. दीपचन्द आत्मज दौलतराम
16. उदयचन्द आत्मज दौलतराम
17. राजकृन्ता पुत्री दौलतराम
18. कमलेश पुत्री दौलतराम
19. रानी बाई पुत्री दौलतराम
20. भूरी बाई पुत्री दौलतराम
21. बीना बाई पुत्री दौलतराम
22. सीमा बाई पुत्री दौलतराम
23. मांगीबाई बेवा दौलतराम जातिगण गुर्जर निवासीगण हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा, राज0।

वादीगण की और से :– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :– श्री दिनेश वैष्णव एडवोकेट (प्रतिवादीगण)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 90 188 आर.टी.एक्ट वास्ते

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा संख्या 460 रकबा 0.28 है0 खसरा नं0 567 रकबा 1.09 है0 खसरा नं0 583 रकबा 0.46 है0 कुल 3 किता रकबा 1.83 है0 भूमि स्थित है। वादीगण के दादा धूल्या, औंकार व पन्ना के शामलाती खातें में दर्ज चली आ रही थी। जिसमें वादीगण के दादा धूल्या जी व उसके भ्रात औंकार व पन्ना जी का बांट बराबर हिस्सा था। यह कि धूल्या जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रभुलाल, छोटूलाल, दौलतराम, किशोर बाई व छीता बाई के नाम दर्ज हुई व औंकार जी की मृत्यु के बाद धन्ना के नाम दर्ज हुई। उसके बाद प्रभुलाल, छोटूलाल, दौलतराम का देहावसान हो गया जिसके वादीगण व प्रतिवादी नं0 11 ता 14 एवं 15 ता 23 वारिसान है जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। छीतरलाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नं0 1 ता 4 का नाम एवं रामलाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नं0 5 ता 9 का नाम दर्ज हुआ। वर्तमान में उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 23 के शामलाती खातें में दर्ज चली आ रही है। यह कि उपरोक्त भूमि में खातेदार धूल्या जी ही काश्त करते थे और उनके भ्राता ओंकार व पन्ना जी ने अपने हिस्से की भूमि को अपने भ्राता धुल्या जी को दे दी थी यानि अपना हिस्सा त्याग कर दिया था। खातेदार औंकार जी का एक पुत्र धन्ना हुआ जो भी लाऔलाद फौत हो गया साथ ही साथ खातेदार छीतरलाल के कोई पुत्र संतान नहीं थी और प्रतिवादी नं0 1 ता 4 अपने सुसराल में रहती थी इस कारण प्रतिवादी नं0 1 ता 4 का कभी भी कब्जा काश्त भूमि पर नहीं रहा। प्रतिवादी नं0 5 ता 10 का भी कभी भी कब्जा उक्त भूमि पर नहीं रहा क्योंकि उनके पूर्वज पन्ना जी ने अपने हिस्से की भूमि को अपने भ्राता वादीगण के दादा जी धूल्या जी को दे दी थी। इस प्रकार उपरोक्त भूमि पर धूल्या जी व उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रभुलाल, छोटूलाल व दौलतराम का व उनकी मृत्यु बाद वादीगण व प्रतिवादी नं0 11 ता 23 का ही कब्जा काश्त निरन्तर अबाध रूप से आज दिन तक चला आ रहा है। यह कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 11 ता 23 का व उनके पूर्वजों का कब्जा ओंकार, पन्नालाल व धन्या, छीतरलाल, रामलाल व प्रतिवादी नं0 1 ता 10 का जानकारी में आज दिनांक तक चला आ रहा है। विवादित भूमि में प्रतिवादी नं0 1 ता 10 का किसी प्रकार का कोई कब्जा व हक व अधिकार शेष नहीं रहा है। सहखातेदार किशोरबाई, छीताबाई व धन्ना का देहावसान हो चुका है

का डिलीट किया जाना आवश्यक है तथा वादीगण को 1/3 हिस्से से, प्रतिवादी नं0 11 ता 14 को 1/3 हिस्से से तथा प्रतिवादी नं0 15 ता 23 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। यह कि इस प्रकार उपरोक्त भूमि से धन्नालाल, छीतरलाल, व प्रतिवादी नं0 1 ता 10 का कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने का नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से प्रतिवादी नं० 1 ता 9 प्रतिवादी नं0 10 को बहकावे में लेकर उक्त भूमि को रहन, बेचान, अन्तरण आदि करवाने व वादीगण के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा करने पर आमादा है जिसका कि प्रतिवादी नं० 1 ता 10 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी नं0 1 ता 10 का व उनके पूर्वजों का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं रहा है और न वर्तमान में है। यह कि उपरोक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी नं0 11 ता 14 व 15 ता 23 का समान हिस्सा है और समान रूप से खातेदार घोषित होने के अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी नं० 1 ता 10 का नाम हटाने के अधिकारी है। इस सम्बन्ध में वादीगण ने प्रतिवादी नं0 1 ता 10 से उनका नाम हटाने हेतु व सम्पूर्ण भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं0 11 ता 23 के नाम दर्ज कराने हेतु दिनांक 15–6–2015 को कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ता 10 ने इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी नं० 1 ता 10 ने अपने हिस्से की भूमि को रहन बेचान व अन्तरण करने की धमकी दी। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि प्रतिवादीगण को उपरोक्त भूमि को रहन बेचान व अन्तरण करने से व वादीगण को भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने से नहीं रोका गया तो इससे वादीगण का वाद पेश करना ही बेकार हो जावेगा। यह कि प्रतिवादी नं. 1 ता 10 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बेचान करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करे । इस कारण उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी गण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे जो इस प्रकार है–

1. कि वाद पत्र में अंकित भूमि ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नं0 460 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नं० 567 रकबा 1.09 हेक्टर, खसरा नं० 583 रकबा 0.46 हैक्टर कुल 3 किता की रकबा 1.83 हैक्टर भूमि का वादीगण व प्रतिवादी नं० 11 ता 14 व 15 ता 23 को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा मृतक धन्या, किशोर बाई, छीता बाई व प्रतिवादी न० 1 ता 10 का नाम राजस्व रिकार्ड से डिलीट किया जावे।

2. कि स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी गण नं0 1 ता 10 वाद पत्र की मद नं0 1 में अंकित भूमि ग्राम टाकर वाडा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नं0 460 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नं0 567 रकबा 1.09 हैक्टर, खसरा नं0 583 रकबा 0.46 हैक्टर कुल 3 किता की रकबा 1.83

भूमि को अथवा उसके किसी भी हिस्से व भाग की भूमि को किसी प्रकार से खुर्द हुर्द व बेचान तथा न्तरण नहीं करे तथा उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादीगण की ओर से अधि0 दिनेश कुमार वैष्णव ने इकबालिये जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल फाईल किया जाता है। जवाब दावा अनुसार– विवादित भूमि को धूल्या द्वारा काश्त करना व उनके भ्राता औंकार व पन्ना जी द्वारा अपना हिस्सा धूल्या जी के हक में छोड़ना स्वीकार है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी नं0 1 ता 10 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है उक्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी नं0 11 ता 23 का ही कब्जा काश्त होना स्वीकार है। वादपत्र में वादीण व प्रतिवादी नं0 11 ता 23 का कब्जा चला आना स्वीकार है। वादीगण को 1/3 हिस्से से, प्रतिवादी नं0 11 ता 14 को 1/3 हिस्से से व प्रतिवादी नं0 15 ता 23 को खातेदार घोषित किये जाने में आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी नं 1 ता 10 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादी नं0 1 ता 10 ने कोई धमकी दी है। वादीगण का प्रार्थना स्वीकार है अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र में वर्णित भूमि में वादीगण को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी नं0 11 ता 14 का 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नं0 15 ता 23 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 10 का नाम हटाये जाने की डिक्री पारित जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओ की वादपत्र पर बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात में आद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन एवं बहस में अधिवक्ताओं के कथित कथनों पर मनन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र को स्वीकार किये जाने से वादी का वाद पत्र सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा संख्या 460 रकबा 0.28 है0 खसरा नं0 567 रकबा 1.09 है0 खसरा नं0 583 रकबा 0.46 है0 कुल 3 किता रकबा 1.83 है0 भूमि में मृतक धन्या, किशोर बाई, छीता बाई एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 10 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से डिलीट किया जाकर वादीगण को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी नं0 11 ता 14 का 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नं0 15 ता 23 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर नियमानुसार वर्तमान डीएलसी दर से स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

डिक्री मुकदमा

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी – दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1. प्रहलाद आत्मज प्रभुलाल
2. रघुवीर आत्मज प्रभुलाल
3. रामसिंह आत्मज प्रभुलाल
4. सुशीला आत्मज प्रभुलाल
5. भूली बेवा प्रभुलाल जाति गुर्जर निवासीगण हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।

(वादीगण)

बनाम

1. कान्ही बाई पुत्री छीतरलाल
2. चाहन्या बाई पुत्री छीतरलाल
3. द्रोपदी पुत्री छीतरलाल
4. पन्सुरी पुत्री छीतरलाल
5. बनवारीलाल आत्मज रामलाल
6. मोतीलाल आत्मज रामलाल
7. जगन्नाथी पुत्री रामलाल
8. भरोसी पुत्री रामलाल
9. कलावती पुत्री रामलाल
10. हरचन्द पुत्र पन्नालाल
11. मूर्ति पुत्री छोटूलाल
12. राजबाई पुत्री छोटूलाल
13. परसादी बाई पुत्री छोटूलाल
14. घीसी बेवा छोटूलाल
15. दीपचन्द आत्मज दौलतराम
16. उदयचन्द आत्मज दौलतराम
17. राजकृन्ता पुत्री दौलतराम
18. कमलेश पुत्री दौलतराम
19. रानी बाई पुत्री दौलतराम
20. भूरी बाई पुत्री दौलतराम
21. बीना बाई पुत्री दौलतराम
22. सीमा बाई पुत्री दौलतराम
23. मांगीबाई बेवा दौलतराम जातिगण गुर्जर निवासीगण हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0।

(प्रतिवादीगण)

सहायक कलेक्टर एवम् दण्डनायक दीगोद सत्यमेव जयते

ग की और से :– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट
ादीगण की और से :– श्री दिनेश वैष्णव एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 90 188 आर.टी.एक्ट वास्ते

मिसल नम्बर 53/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ श्री दीपक महावर आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुददई रूबरू मिनजानिब मुददालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा संख्या 460 रकबा 0.28 है0 खसरा नं0 567 रकबा 1.09 है0 खसरा नं0 583 रकबा 0.46 है0 कुल 3 किता रकबा 1.83 है0 भूमि में मृतक धन्या, किशोर बाई, छीता बाई एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 10 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से डिलीट किया जाकर वादीगण को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी नं0 11 ता 14 का 1/3 हिस्से का प्रतिवादी नं0 15 ता 23 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर नियमानुसार वर्तमान डीएलसी दर से स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 10.10.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।